उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 852/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(19)-2017

लखनऊ: दिनांक:30 जून, 2017

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को ऐसे व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की यूनिट द्वारा संचालित कैंटीन या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के प्राधिकृत उपभोक्ताओं हेतु ऐसे माल की अनुवर्ती पूर्ति के प्रयोजनों के लिए अपने द्वारा प्राप्त माल की समस्त आवक पूर्तियों पर संदत्त प्रयोज्य राज्य कर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।